सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 38/15

1. नसीबकौर पुत्री श्री भोलासिंह पत्नी श्री करतारसिंह जाति कमोह निवासी वार्ड सं0 13, खाजूवाला तहसील बीकानेर जरिये मु0आम साधुसिंह पुत्र श्री भोलासिंह
2. अमरकौर पुत्री श्री भोलासिंह पत्नी श्री ज्ञानसिंह जाति कमोह निवासी वार्ड सं0 13, खाजूवाला तहसील बीकानेर जरिये मु0आम साधुसिंह पुत्र श्री भोलासिंह
3. साधूसिंह पुत्र श्री भोलासिंह जाति कमोह निवासी वार्ड सं0 02, इन्दिरा कालौनी, पदमपुर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. लीलाधर पुत्र श्री मिलखराज जाति अरोड़ा निवासी नागपाल पार्क के पास, वाटर वर्कस के पास, पदमपुर।
2. पलविन्द्रसिंह पुत्र श्री मिलखराज जाति अरोड़ा निवासी नागपाल पार्क के पास, वाटर वर्कस के पास, पदमपुर।
3. अशोक कुमार पुत्र श्री मिलखराज जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं09, एस0बी0बी0 जे0 बैंक के पास, पदमपुर।
4. ग्राम पंचायत 20 बी बी ए पदमपुर।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पदमपुर।

अप्रार्थीगण

निगरानी खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत 20.09.68

उपस्थित : श्री मोहन लाल छाबड़ा, अधिवक्ता, निगरानीकर्तागण
श्री रामसिंह ढाका, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 5

आदेश

दिनांकः 13–6–16

प्रस्तुत निगरानी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत निगरानी अन्तर्गत नियम 272 दी राजस्थान पंचायत एण्ड न्याय पंचायत (जनरल) रूल्स 1961 एवं सपठित राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत 23 बी बी तहसील पदमपुर द्वारा अहाता नं0 27 श्री भोलासिंह को आवंटित किया गया था। नगरपालिका से प्राप्त तस्दीक दिनांक 8–12–14 में यह तथ्य आया है कि दिनांक 20–9–68 को भोलासिंह के नाम से विलेख निरस्त कर दिया गया एवं नकल दस्तावेज बैयनामा

जिला कलक्टर (प्रशासन)
गंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

श्रीमती जसमेलकौर के नाम स्थानान्तरण कर दिया गया। नगरपालिका द्वारा जारी तस्दीक 8–12–14 के मुताबिक अहाता सं0 27 मिलख पुत्र फतेहचन्द पिता गैरनिगरानीकर्ता सं0 1 ता 3 के नाम कर दिया गया। भोलासिंह का देहान्त दिनांक 21–2–68 को हुआ था। ग्राम पंचायत 20 बी बी प्रथम द्वारा दिनांक 16–7–76 को बैयनामा फर्जी दिखाकर विवादित प्लाट सं0 27 का स्थानान्तरण जसमेलकौर पत्नी श्री अवतारसिंह के नाम क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कर दिया गया । नगरपालिका से बिना तारीख एक तस्दीक दिनांक 8–12–04 को प्राप्त की गई, जिसमें पुराना गणपतसिंहपुरा, चक 23 बी बी प्रथम की आबादी अहाता सं0 27 श्री मिलखराज व जसमेलकौर के नाम दर्ज है इसलिए मिलखराज के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। स्थानान्तरण बिना क्षेत्राधिकार का है। मौजूदा क्षेत्र 23 बी बी प्रथम तहसील पदमपुर नगरपालिका क्षेत्र पदमपुर में आ चुका है। ग्राम पंचायत 20 बी बी ए की तस्दीक 21–9–13 व 15–8–13 की है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश जेर निगरानी दिनांक 20–9–68 व बिना तारीख तस्दीक नगरपालिका दिनांक 8–12–14 निरस्त फरमाये जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड नगरपालिका, पदमपुर से प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा है कि ग्राम पंचायत 23 बी बी तहसील पदमपुर द्वारा अहाता नं0 27 श्री भोलासिंह को आवंटित किया गया था। नगरपालिका से प्राप्त तस्दीक दिनांक 8–12–14 के अनुसार दिनांक 20–9–68 को भोलासिंह के नाम से विलेख निरस्त कर दिया गया एवं नकल दस्तावेज बैयनामा श्रीमती जसमेलकौर के नाम स्थानान्तरण कर दिया गया। नगरपालिका द्वारा जारी तस्दीक 8–12–14 के मुताबिक अहाता सं0 27 मिलख पुत्र फतेहचन्द पिता गैरनिगरानीकर्ता सं0 1 ता 3 के नाम कर दिया गया। भोलासिंह का देहान्त दिनांक 21–2–68 को हुआ था। ग्राम पंचायत 20 बी बी प्रथम द्वारा दिनांक 16–7–76 को बैयनामा फ़र्जी दिखाकर विवादित प्लाट सं0 27 का स्थानान्तरण जसमेलकौर पत्नी श्री अवतारसिंह के नाम क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कर किया गया । नगरपालिका से बिना तारीख एक तस्दीक दिनांक 8–12–04 को प्राप्त की गई, जिसमें पुराना गणपतसिंहपुरा, चक 23 बी बी प्रथम की आबादी अहाता सं0 27 श्री मिलखराज व जसमेलकौर के नाम दर्ज है इसलिए मिलखराज के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। स्थानान्तरण बिना क्षेत्राधिकार का है। मौजूदा क्षेत्र 23 बी बी प्रथम तहसील पदमपुर नगरपालिका क्षेत्र पदमपुर में आ चुका है। ग्राम पंचायत 20 बी बी ए की तस्दीक 21–9–13 व 15–8–13 की है। अपने तर्को के समर्थन में ए0 आई0 आर 1973 पंजाब एवं हरियाणा 41 (वी 60 सी 16),(1995)2एल एन 220, राज0 पंचायत राज (जनरल) रूल्स की धारा 270,272, ए0आई0आर0 2010 एस सी 3745, ए0 आई0 आर0 2001 एस सी 2003, 2010(2) आर आर टी 1207 पेश कर निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश जेर निगरानी दिनांक 20–9–68 व बिना तारीख तस्दीक नगरपालिका दिनांक 8–12–14 निरस्त फरमाये जावें।

कलक्टर (प्रशासन)
नगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी सं0 5 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता प्लाट में हितबद्व व्यक्ति नहीं है। निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। दिनांक 20–9–68 के आदेश की निगरानी 28–12–15 को लगभग 47 वर्ष बाद पेश की गई है। विलम्ब अत्यन्त भारी है, जिसे माफ नहीं किया जाना चाहिये। जहॉं परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वहॉं युक्तिसंगत समय सीमा होती है, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। अतः प्रस्तुत निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत निगरानी में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना में निगरानीकृत आदेश के ज्ञान होने की तारीख दर्ज नहीं की गई है। मियाद के बिन्दू पर किस दिनांक से किस दिनांक तक मियाद कन्डोन करनेका अनुरोध दर्ज नहीं किया गया है। अपने तर्को के समर्थन में 2014 (4) डी0एन0जे0 राज0 पेज 1606, 2015(3) डीएनजे0 राज0 1074, 2015 (3) एसएससी 695, 2015 (3) डीएनजे 1853, 2009 (3) डी0एनजे0 एस सी 1095, 2015(2) आर आर टी 967 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। सीधे निगरानी पेश की गई है जबकि पहले अपील पेश की जानी चाहिये थी। दिनांक 6–5–97 को नरसीदास, एवं दिनांक 20–10–04 को हरीशंकर /नरेश कुमार के नाम से आदेश जारी कर पट्टे जारी हुए हैं। दोनों आदेशों की एक ही निगरानी पेश की गई है। निगरानीकर्ता ने सबूत के तौर पर अपने पिता के नाम से इकरारनामा की फोटो प्रति पेश की गई है, जो साक्ष्य में ग्रह्य नहीं है। निगरानीकर्ता निगरानी के माध्यम से अपने पक्ष में अहाताजात मेंअपने अधिकारों की घोषणा, बंटवारा करवाने का अनुतोष चाहा है जो किवल सिविल कोर्ट का ही अधिकार क्षेत्र है आपने इस तर्क के समर्थन में 2005 डीएनजे राज0 पेज 83 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी मियाद बाहर होने तथा निगरानीकर्ता को निगरानी पेश करने की अधिकारिता न होने के कारण निगरानी खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

जहॉं तक मियाद का प्रश्न है, मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा 2015 डी0एन0जे0 (राज0) पेज 1853 में अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

" राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 – धारा 97 – 24 वर्ष बाद आवंटित भूमि का पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की – अधिनियम में परिसीमा का प्रावधान नहीं – असामान्य विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती – युक्तिसंगत समय में पक्षकार को निगरानी पेश करनी चाहिये और सिविल कार्यवाही पेश करने हेतु अवधि दिशा निर्देश कारक होनी चाहिये – निर्णित निगरानी क्षेत्राधिकारिता का उपयोग करने में अति0 कलक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की – आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया – याचिका खारिज "।

हस्तगत निगरानी में ग्राम पंचायत 23 बी बी के आदेश दिनांक 20.09.68 जिसके द्वारा अहाता सं0 27 जो अप्रार्थीगण के नाम से किया गया है, को निगरानी में चुनौति दी गई है तथा निगरानी के अनुतोष में नगर पालिका की तस्दीक दिनांक 8–12–14 को भी निरस्त करने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

नगर पालिका, पदमपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अनुसार भूखण्ड सं0 27 वाके चक 24 बी बी गनपतसिंहपुरा जो मिलखराज पुत्र फतेहचन्द के नाम बताया गया है। मिलखराज द्वारा यह उक्त भूखण्ड श्रीमती जसमेलकौर पुत्री अवतारसिंह जटसिख को 1400–00 रूपये में दिनांक 16–7–76 को बेचान करना बताया है। नगर पालिका द्वारा नियमानुसार शुल्क पचास रूपये दिनांक 25–6–85 को जमा करवाये गये हैं।

उक्त पत्रावली के साथ ही ग्राम पंचायत की पत्रावली भी शामिल है। ग्राम पंचायत 27 बी बी के आदेश दिनांक 30–3–57 के अनुसार भूखण्ड सं0 27 भोलासिंह पुत्र नत्थासिंह को 63–00 रूपये में स्वीकृत किया गया है।

निगरानीकर्ता ने निगरानी के शीर्षक में ग्राम पंचायत 20 बी बी ए के भूखण्ड सं0 27 वाके 23 बी बी दिनांक 20–9–68 जो अप्रार्थी सं0 1 से 3 के नाम किया गया है, से संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है और जो रेकार्ड प्राप्त हुआ है, उसमें भी ऐसे किसी आदेश का उल्लेख नहीं है। निगरानी के अनुतोष में बिना तारीख तस्दीक नगरपालिका दिनांक 8–12–14 के आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है जबकि दिनांक 8–12–14 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका , पदमपुर द्वारा दिनांक 3–8–85 के नोट की फोटो प्रति को प्रमाणित किया गया है।दिनांक 8–12–14 का न तो कोई आदेश है और न ही कोई तस्दीक है।

जहॉ तक ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20–9–68 का प्रश्न है, ऐसा कोई आदेश न तो निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है और न ही नगरपालिका व ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उपलब्ध है। दिनांक 20–9–68 के आदेश को दिनांक 28–12–15 को चुनौति दी गई है जो लगभग 48 वर्ष के भारी अंतराल के बाद निगरानी पेश की गई है। इतना भारी विलम्ब अपने आप में अस्पष्ट है। अतः अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2015 डी0एन0जे0 (राज0) पेज 1853 के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी मियाद बाहर होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्राप्त रेकार्ड सहित अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 13–6–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल) 13/6/16
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner